eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

नारीवाद, कल और आज एवं महिला सशक्तीकरण, हम कहॉ तक पहॅचे

[1]मन्ना राम पटेल
[1]शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, नवा रायपुर, (छत्तीसगढ़)

Received: 31 August 2023 Accepted and Reviewed: 31 August 2023, Published : 10 September 2023

Abstract

प्रस्तुत शोध में नारीवाद आज और कल को रेखांकित करते हुए, वर्तमान में महिला सशक्तीकरण, हम कहॉ तक पहॅचे इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, प्रशासनीक, सांस्कृतिक, कानूनी व अन्य पक्षों का विश्लेषण किया गया है। प्रस्तुत शोध पत्र में महिलाओं की समस्या व पिछड़ेपन के कारणों की अलग–अलग व्याख्या किया गया है। वर्तमान में नारीवादी आंदोलन से महिलाओं की स्थितियों में बहुत सुधार हुआ है, परंतु फिर भी क्या चुनौतियॉ है व चुनौतियों से निपटने के सुझावों के साथ सांगोपांग विश्लेषण किया गया है।

कीवर्डः– इंटेलीजेंट कोशेन्ट, इमोशनल कोशेन्ट, प्राकृतिक, मनोवैज्ञानिक, असतित्व की समस्या, तिरिया चरित्रम्।

Introduction

आज संपूर्ण विश्व जिस मुद्दे पर सर्वाधिक उद्वेलित है वह आधी दुनिया की समस्या के रूप में परिभाषित नारी की समस्या है। कभी प्राकृतिक तो कभी मनोवैज्ञानिक कारणों से तो कभी सामाजिक–सांस्कृतिक कारणों से महिलाओं को दबाया गया है। यही कारण है कि सभ्यता के शुरूवात से ही महिलायें तिरस्कृत जीवन जी रही हैं। कभी अर्द्धांगिनी कही जाती है तो कभी प्रतिद्वदंनी के तौर पर देखी जाती है, परन्तु कभी भी सहभागिनी के तौर पर सम्मानित नहीं हैं। नारी का भी महिमा मंडन (देवी) भी पुरूष हित में किया जाता है तो उसे कुल्टा और कुलक्षिणी की उपमायें भी पुरूष ने दी है। यही कारण है कि 19वीं सदी की शुरूवात कर महिला मूलभूत मानव अधिकारों को भी प्राप्त नहीं कर सकी, परन्तु पिछले 200 वर्षों में उभरा नारीवादी आंदोलन विनम्र तो कभी आक्रामक रहा कहीं सफल होकर तो कहीं असफल रहा, लेकिन एक बात स्पष्ट होकर सामने आयी कि महिलाओं अब और अधिक अपने नैसर्गिक अधिकारों से वंचित नहीं रह सकती। ये जानने से पहले इनके पिछड़ेपन के कारणों को जानना होगा।

कारणः–

1. **प्राकृतिक/जैविक /व्याख्याः–** इसे **फायरस्टोन** जैसे नारीवादी चिंतकों ने प्रस्तुत किया है, जिनके अनुसार इनके पिछड़ेपन का कारण स्वयं भगवान है, क्योंकि जन्म देते समय उन्होनें पुरूष–महिला के जैविक लक्षणों में अंतर किया जो इनके पिछड़ेपन का कारण बना। सभ्यता के

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

शुरूवात में दो चीजों की आवश्यकता थी शारीरिक क्षमता और मानसिक बुद्धिमता। इसके अलावा ईश्वर ने महिलाओं को उत्पादकता की समस्या दी, जिसके चलते वे शारीरिक रूप से अस्वस्थ्य व अक्षम/असहज और असुरक्षित रहती थी और डार्विन्स थ्योरी में वो पुरूष से पिछड़ गयी तब महिला ने अपनी सुरक्षा हेतु अपनी आजादी पुरूष को सौंप दी। और यही से दुनिया का कार्य विभाजन शुरू हुआ जो आज तक तर्कसंगत नहीं है। इसी के कारण पुरूष ने इस गुलामी को विवाह का सहारा लेकर स्थायी कर दिया। इसलिए चिंतक कहतें हैं कि जिस दिन पुरूष बच्चों को जन्म देगें महिला समस्या समाप्त हो जायेगी, इस कारण ये विवाह का समर्थन नहीं करते हैं।

2. **मनोवैज्ञानिक कारण/व्याख्याः—** यह व्यस्था **फ्रायड** ने दी है व इनके अनुसार महिलाओं में सामाजिक व इमोशनल शक्ति ज्यादा होती है। महिला भावनात्मक रूप से ताकतवर और कमजोर भी होती है। दुखः सहने की ताकत भी होती है, पर इसका लाभ उठाकर उन्हें बेवकूफ बनाना आसान होता है। अपने **आई क्यू** का प्रयोग कर उनकी **ई क्यू** को बहकाया है। इसके लिए उसने नारी को देवी बनाकर महिमामंडित कर तो कभी अबला नारी कहकर कमजोर किया कभी अपने स्वार्थ हेतु देवी बनाया तो कभी दासी। उसकी मुत्यु पर नयी शादी को अपना अधिकार बताया पर स्वयं की मुत्यु के बाद सती प्रथा को लाया। नारी पर अपना अधिकार मरने के बादी भी दिखाया और उसे सफेद साड़ी और मुडंन कर काशी/मथुरा भेजवाया। उसे करवा चौथ का व्रत करवाकर अपनी जीवन बढ़ाया, परंतु उसके लिए कभी यज्ञ नहीं करवाया और महिलाओं को यह विश्वास दिलाया कि यह उनके फायदे के लिए है। कुल मिलाकर ऐसे शोषण की परम्परा की शुरूवात की जिसमें महिलओं को आन्नद आता है।
3. **सामाजिक कारण/व्याख्याः—** इसमें अगली व्याख्या सामाजीकरण की है। समाज में जो मूल्य अपने बच्चों को देते हैं वो पुरूष और महिला में अंतर उत्पन्न करता है। हम खिलौनें, खेल व अवसरों में भेदभाव करतें हैं और पुरूष को अधिक मौके देते है यह अंतर सामाजिक संबधों में भी दिखता है। भाषा वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी प्रशासनिक शब्द पुरूष द्वारा बनाये गये है जैसे राष्ट्रपति, चेयरमेन। लेकिन सारे अपमानजनक शब्द महिला। शर्म तो तब आती है जब इसे महिला स्वयं प्रयोग करती है।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

4. **सांस्कृतिक कारण /व्याख्याः–** सांस्कृतिक मूल्यों के नाम पर महिलाओं को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा है। सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा का ठेका इन्हे एकमुश्त दे दिया है। सर्वप्रथम तो उसने चारित्रिक गुणों को महिला का आभूषण बनाया और कहा महिला को सदैव सत्चरित्र होना चाहिए। उसे एक पुरूष के प्रति समर्पित होना चाहिए। शारीरिक सुख की कामना करना महिला के लिए प्रतिबंधित है। शारीरिक संबध सिर्फ पुर्नउत्पाद का माध्यम है। इन सबको पुरूषों ने सामाजिक दबाव से समाप्त किया और फिर एक दर्शन लेकर आए जो कहता है नवीनता/रचनात्मता पुरूष की आवश्यकता है और स्थिरता महिला का गहना है। यह विचार कहता है जो तार्किक है वो श्रेष्ठ है जो प्राकृतिक है वो निम्न है इसी तर्क पर मानव ने प्रकृति का शोषण किया उसी तर्क पर पुरूष, महिला का शोषण करते हैं।
5. **अन्य कारणः–** देश में स्त्रियों के प्रति बढ़ रहे हिंसा व अपराध के कारणों में जाति, वर्ग, समुदाय, धर्म, परिवार की संरचना, विवाह पद्वति, नातेदारी, औधोगिकरण, नगरीकरण, पाश्चात्य शिक्षा आधुनिकीकरण, बढ़ता अपराध व उपभोक्तावादी संस्कृति, आदि प्रमुख है।

महिलाओं की वर्तमान स्थिति/समस्याः–

1.अस्तित्व की समस्याः–महिलाओं की अस्तित्व की समस्या लिंगानुपात में दिखती है। हत्या हेतु रणनीति बना रखी हैः– चाहे भ्रूण हत्या हो, या विचारों में हत्या, या जन्म के पश्चात् हत्या हो, या कुपोषण से हत्या, या बाल विवाह से हत्या हो, या दहेज से हत्या, एसीड अटैक से हत्या, हो ह्यूमन ट्रैफिकींग का खतरा हो एवं बलात्कार का खतरा ये सारे अवसर समाज उपलब्ध कराता है।

2. अधिकार की समस्याः–

(अ) आर्थिक अधिकारः– इसमें दो तरह की समस्या हमारे सामने आती है पहला सम्पत्ति पर पुरूष का एकतरफा बफौती का अधिकार है, जिसमें पिता के जिवीत रहने पर भी एवं मृत्यु पश्चात् भाईयों के पक्ष में ही जमीन–जायदाद, वसीयत का अधिकार पुत्र को दे दिया जाता है। वहीं पर पिता की सम्पत्ति से पुत्री को वंचित कर दिया जाता है। यदि वे अपना पैतृक संपत्ति से हिस्सा मांगती है, तो उसके भाईयों के द्वारा उनसे रिश्ता तोड़ लिया जाता है और उनके लिए घर के दरवाजे बंद कर दिये जाते है। दूसरा शिक्षा पर केवल पुरूष का हक होना महिलाओं के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। बस 21 वर्ष या इससे कम उम्र की आयु होने पर भी बेटियों का हाथ पीला कर ससुराल भेजकर छुटकारा पाने की चीज समझ कर रखें है, महिलाओं को

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

केवल चूल्हे–चौके, घर–गृहस्थी का अधिकार दिया गया है। बाकि सभी अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। यदि महिलायें अपने अधिकार के लिए किसी भी प्रकार की आवाज उठाती है,तो इससे समाज का नाक कटेगा कहकर उस आवाज को दबा दिया जाता है। हमारे समाज/राष्ट्र की सबसे बड़ी विडम्बना इसी सच से सामने आती है।

(ब) सामाजिक अधिकारः– सामाजिक समस्या महिला के लिए सबसे बड़ी बाधा है। पुरूष से बराबरी करने पर उसे हेय दृष्टि से देखा जाता है कई प्रकार के ताने–बाने समाज द्वारा बुने जाते है। कई सामाजिक कुरितीयॉ समाज केवल नारी के लिए बना रखा है। नारी की दोहरी भूमिका की समस्या, पारिवारिक जिम्मेदारियॉ, कार्य क्षेत्र में बराबरी, प्रतिष्ठा की लड़ाई की समस्या आदि ये सब समाज परोसता है।

अनैतिक देह व्यापार समाज पर कलंक है। आज सभ्य तथा सम्पन्न कहलाने वाला वर्ग भी बुराई से लिप्त है। वेश्यागृह भी चलाने वाला पुरूष है। गर्भ के दौरान यौन परीक्षण दण्ड माना गया है। लेकिन आज यौन परीक्षण को बढ़ावा हमारा समाज ही दे रहा है। कैसी विडंबना है कि आज के समाज में औरत होना एक सजा है। सृष्टि को चलाने वाली जन्म दात्री आज भी सिर्फ भोग्या ही बनी हुई है, उसे शोषित, पीड़ित की वस्तु माना गया है। आज के पढ़े–लिखे समाज में भी ज्यों की त्यों उपस्थित है आज महिलाऍ भेदभाव व शोषण की शिकार है।

(स) राजनैतिक अधिकारः– सत्ताधारी क्षेत्रों में महिला को अवसर न देना, महिला आरक्षण बिल केवल कागजों में होना, वास्तविक धरातल पर पर इसका कोरा होना , दुनिया में राजनीति में आयी महिलाओं का वंशानुगत आना, पंचायत/नगर पालिक आदि आरक्षण का लाभ पुरूष (महिला पति) द्वारा उठाना आदि कई चुनौतियॉ महिलाओं के समक्ष उत्पन्न होती है। यह घोर विडम्बना है कि आज भी भारतीय समाज की आधी आबादी को संसद एवं विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं है। किसी भी देश की संसद में महिलाओं की संख्या पुरूषों से अधिक नहीं है।

3.प्रशासनिक क्षेत्र में पिछड़ापनः–

प्रशासनिक क्षेत्र में महिलाओं की उच्च सरकारी पदों में केवल 12 प्रतिशत, सेक्रेटरी लेवल में मात्र 10 प्रतिशत, वैज्ञानिक क्षेत्र में 1–2 प्रतिशत भागीदारी यह बयॉ करती है, कि महिलायें कितनी पिछड़ी हुई है। उनको इस सब क्षेत्र से बाहर रखा गया है और अधिकांश क्षेत्रों पर पुरूषों का ही एकतरफा वर्चस्व है।

4.कानूनी अधिकारों की समस्याः–

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

उत्तराधिकार कानून, चयन की स्वतंत्रता नहीं, संवधिान के अनुच्छेद–44 का लागू ना होना, कठोर कानून का अभाव, इसमें सरकार जब यह कथन लाती है कि वैवाहिक बलात्कार जैसी चीज भारत में संभावित नहीं हैं। कार्य स्थल पर यौन शोषणों की समस्या 97 प्रतिशत और कानूनों का केवल कागजों पर होना वास्तविक धरातल पर लागू ना होना, महिला एवं समाज में कानून के प्रति जागरूगता एवं चेतना का अभाव। समाज में लाज–लज्जा का भय होने से कानून का शरण ना लेना ये सभी कानूनी बाधा महिला के समक्ष ही पैदा होती है।

5.वैचारिक पिछड़ेपन की समस्याः–

महिला अधिकार को वैचारिक रूप से रोका गया है। इसका कारण महिलाओं के विरूद्ध पूर्वाग्रह को ले सकते है जैसै महिला बातूनी होती है, गॉशिप करती, महिला–महिला की दुश्मन होती है, महिला तिरिया चरित्रम् होती है, क्योंकि उन्हें वर्षों से बोलने से रोका गया है, अभिव्यक्ति की चाह का प्रतिबंधित केवल इसी रूप में ही उद्ववेलित होती है। जब महिला को घर से बाहर जाने व दुनिया से परिचित ना होने दिया जाए तो आप कैसे उम्मीद करते हो कि विश्व व्यापी समस्या पर बात करेगी अन्यथा वह परिवार और बच्चों तक सीमित रहेगीं। जब पुरूष ने घर में सत्ता धारण की तो हर कोई उसके साथ रहना चाहता है, शादी के बाद उसके घर टूटने का भय रहता है इसलिए महिला–महिला की दुश्मन बन जाती है। इस प्रकार की कई गलत अवधारणा समाज की रची–रचायी साजिश है।

वर्तमान स्थितिः–

कई महिलाओं ने आज बैकिंग एवं वित्त, सूचना एवं प्रोद्योगिकी, शिक्षा, मीडिया, खेल, शासन, प्रशासन, उद्योग, तथा सामाजिक क्षेत्रों में उच्च स्थान बनाया है। इसके बावजूद लगता है कि आर्थिक आजादी हासील नहीं हो सकी है। अपने नियोक्ता के कार्यालय में भले ही एक झटके में करोड़ो के खर्च का फेसला कर ले लेकिन घर में तो उन्हें मामूली से खर्चे के लिए काफी आगे–पीछे सोचना और मंजूरिया लेनी होती है।

सुझावः–

महिला आरक्षणः– होना चाहिए हर क्षेत्र, हर रूप। राजनैतिक अधिकारः– सत्ताधारी क्षेत्रों में महिला को अवसर देना, महिला आरक्षण बिल जो केवल कागजों में है उनका, वास्तविक धरातल पर क्रियान्वयन किया जाना। दुनिया में राजनीति में आयी महिलाओं का वंशानुगत को रोककर सभी को मौका प्रदान करना, पंचायत आरक्षण का लाभ पुरूष (महिला पति) द्वारा

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Vol. 02, Issue 09, September 2023

न उठाकर स्वयं महिलाओं को इसके प्रति जागरूक होना आदि। आर्थिक अधिकारः— सम्पति पर पुरूष का एकतरफा बफौती का अधिकार न होकर स्त्रीयों का होना। शिक्षा पर महिलाओं का अधिकार होना। प्रशासन, शासन, कानून, न्याय, सेना आदि सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए आरक्षण अति आवश्यक है ।

निष्कर्षः—

दशा और दिशा में सुधार होना को महिला की सशक्तीकरण के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है, कि जिसको अपने आप को व्यक्त करने का मौका मिलेगा वो कभी तिरिया चरित्रम् नहीं बनता। परन्तु महिला को अपने कार्यों को समाज, परिवार के नाम पर छुपाने को कहा जाता है। समानता का मंच एवं बराबर का अधिकार, यह सारे दाग मिटा देगी।

संदर्भ ग्रंथः—

1. अंसारी ए0एम0, नारी तुम क्या, ज्योति प्रकाशन जयपुर, 2006.
2. शर्मा प्रजा, महिला विकास एवं सशक्तीकरण, पोईंटर पब्लिसर्श जयपुर, 2001.
3. देसाई नीरा, भारतीय समाज में नारी, मैकमिलन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली,1982.
4. पाण्डे मृणाल, परिधि पर स्त्री, किशन प्रकाशन प्रा0लि0नई दिल्ली, 2006.
5. कौशिक आशा, नारी सशक्तीकरण (विमर्श एवं यथार्थ) पोईंटर पब्लिसर्श जयपुर, 2004.
6. अंसारी ए0एम0, महिला एवं मानवाधिकार, ज्योति प्रकाशन जयपुर, 2000.
7. शर्मा नारायण प्रेम, महिला सशक्तिकरण एवं समग्र विकास, 2005.
8. अंसारी ए0एम0, नारी जीवन सुलगते प्रश्न, ज्योति प्रकाशन जयपुर, 2006.
9. पत्रिका, 8 मार्च 2022, 2023.
10. नवभारत 8 मार्च 2022, 2023.
11. दैनिक भास्कर 8 मार्च 2022, 2023
12. दृष्टि पब्लिकेशन, दृष्टि आई एस प्रकाशन, दिल्ली मार्च 2021.
13. प्रतियोगिता दर्पण, उपकार प्रकाशन, दिल्ली मार्च 2022.